न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारी:— श्री गोपाल जांगिड़ (आर.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र संख्या : 162 / 2021

प्रार्थीगण:—	बनाम	अप्रार्थी:—
1. प्रेमलता पत्नी स्व0 जेठाराम 2. गोपालकृष्ण पुत्र स्व0 जेठाराम 3. यशवन्त कुमार पुत्र स्व0 जेठाराम 4. दीपक पुत्र स्व0 जेठाराम जातियान सैन निवासीगण नवचौकिया, सोजतसिटी, तहसील सोजत, जिला पाली राज0।		1. सरकार जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत, तहसील सोजत, जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति:—

1. श्री कैलाश दवे अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
2. अप्रार्थी तहसीलदार सोजत उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक – 17.01.2022

अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने एक विविध प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी के इस आशय से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम, तहसील सोजत के खाता संख्या 2322 के खसरा नम्बर 3275 रकबा 1.6200 हैक्टर कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण के पिता/पति जेठाराम पुत्र मदनलाल व अन्य सहखातेदारान की कब्जा काश्त की आयी हुई स्थित है, उक्त कृषि भूमि में प्रार्थीगण के पिता/पति जेठाराम पुत्र मदनलाल का 1/12 वा हक हिस्सा खातेदारी व कब्जा काश्त का आया हुआ स्थित है। उक्त वर्णित भूमि प्रार्थना पत्र में वादस्थ भूमि के नाम से संबोधित किया जायेगा। जेठाराम का दिनांक 12/09/2020 को स्वर्गवास हो चुका है, जिनके उत्त्तराधिकारी/वारिसान प्रार्थीगण ही है। प्रार्थना पत्र में वर्णित वादस्थ कृषि भूमि में प्रार्थीगण के पिता/पति जेठाराम का राजस्व कर्मचारियो द्वारा वक्त इन्द्राज बिना प्रार्थीगण के पति/पिता के दस्तावेजात का अवलोकन किये जेठाराम के स्थान पर जेठमल त्रुटिवश दर्ज कर दिया, जबकि प्रार्थीगण के पिता/पति का वास्तविक एवं दस्तावेजी व सही नाम जेठाराम ही है। वक्त इन्द्राज जेठाराम के स्थान पर जेठमल दर्ज होने की जानकारी प्रार्थीगण के पिता/पति को नही होने से उनके द्वारा कार्यवाही नही की जा सकी। जबकि प्रार्थीगण के पिता/पति का राज्य सरकार द्वारा पेंशन पेय आदेश व मृत्यु प्रमाण पत्र, पेन कार्ड, आधार कार्ड, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर की जारी बैंक खाता डायरी व अन्य दस्तावेजात व प्रार्थीगण के प्रस्तुत आधार कार्ड, इत्यादि में भी जेठाराम पुत्र मदनलाल ही अंकित है, जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के पिता/पति का वास्तविक दस्तावेजी नाम जेठमल न होकर जेठाराम ही है तथा मदनलाल के उक्त जेठाराम के अलावा अन्य कोई जेठाराम व जेठमल नाम का पुत्र नही है, अर्थात जेठाराम व जेठमल एक ही प्रार्थीगण के

उप खण्ड अधिकारी सोजत

पिता/पति है। प्रार्थना पत्र में वर्णित वादस्थ कृषि भूमि के संबंध में प्रार्थीगण के पति/पिता का दिनांक 12/09/2020 को स्वर्गवास हो जाने से व उक्त समयावधि में भारतवश में कोविड–19 के कारण लोकडाउन हो जाने के कारण प्रार्थीगण फौतेदगी नामान्तकरण की कार्यवाही नही कर सके तथा वर्तमान में प्रार्थीगण द्वारा उक्त कृषि भूमि में फौतेदगी नामान्तकरण हेतु दिनांक 01/11/2021 को संबंध पटवारी हल्का से सम्पर्क किया, जिस पर संबंधित पटवारी हल्का द्वारा उक्त कृषि भूमि में प्रार्थीगण के पिता/पति जेठाराम के राजस्व रेकर्ड में जेठमल दर्ज होने की जानकारी दी। जिस पर प्रार्थीगण को सर्वप्रथम उक्त त्रुटि की जानकारी हुई, जिसके पश्चात प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार सोजत को उक्त रेकर्ड दुरूस्ती का कहने पर नही करने से उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश है। इसलिए वादस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज जेठमल पुत्र मदनलाल के 1/12 वे हक हिस्से की भूमि में जेठमल के स्थान पर जेठाराम से रेकर्ड दुरूस्त करवाने के कानूनी अधिकारी है तथा उक्त रेकर्ड दुरूस्त किये जाने से अन्य सहखातेदारान के हक हिस्से पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। वादस्थ कृषि भूमि ग्राम सोजत चक प्रथम, तहसील सोजत में स्थित होने से न्यायालय हाजा को श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा ग्राम सोजत चक प्रथम तहसील सोजत के खाता संख्या 2322 के खसरा नम्बर 3275 रकबा 1.6200 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कृषि भूमि में दर्ज खातेदार जेठमल पुत्र मदनलाल के स्थान पर जेठाराम पुत्र मदनलाल किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत ने जबाब प्रा0 पत्र पेश कर प्रा0 पत्र में वर्णित बिन्दु 1 के तथ्यों को स्वीकार कर तथा 2 व 3 बिन्दु के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर जेठमल के स्थान पर जेठाराम दर्ज करने की अनुशंषा की। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रा0 पत्र के समर्थन में शपथ–पत्र, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पेंशन आदेश, मृत्यु प्रमाण पत्र, सम्वत् 2074–2077 की जमाबंदी, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर द्वारा जारी बैंक डायरी छायाप्रतियां पेश की, सा0मि0 है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रा0 पत्र में वर्णित कृषि भूमि खाता संख्या 2322 के खसरा नम्बर 3275 रकबा 1.6200 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल के राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदार जेठमल पुत्र मदनलाल के स्थान पर जेठाराम पुत्र मदनलाल दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की है। जिस पर उपस्थित तहसीलदार/लैण्ड होल्डर/सोजत को कोई आपति नही होना बहस के दौरान व्यक्त किया है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात, जबाब प्रा0 पत्र साक्ष्य सबूतों दस्तावेजात तथा उक्त विवादित भूमि से सम्बद्ध

उप खण्ड अधिकारी सोजत

प्रा0 पत्र में वर्णित उक्त तथ्यों की ताईद में प्रस्तुत शपथ पत्र मय उक्त दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस उभय पक्षों पर गौर कर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी के पिता/पति का राजस्व रेकर्ड में नाम जेठमल पुत्र मदनलाल दर्ज है किन्तु अन्य दस्तावेजों में यथा पेंशन पेमेन्ट ऑर्डर, मृत्यु प्रमाण पत्र, आयकर विभाग का कार्ड, आधारकार्ड, बैंक पासबुक की छाया प्रति तथा जबाब प्रार्थना पत्र तहसीलदार सोजत में की गई अनुशंषा के आधार पर प्रार्थी के पिता/पति का सहीव वास्तविक नाम जेठाराम होने की संपूष्टि होती है। वस्तुतः प्रार्थना प्रा0 पत्र धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्त विवादित सरहद मौजा सोजत चक प्रथम, तहसील सोजत के खाता संख्या 2322 के खसरा नम्बर 3275 रकबा 1.6200 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से दर्ज खातेदार जेठमल पुत्र मदनलाल के स्थान पर जेठाराम पुत्र मदनलाल दुरूस्त प्रविष्टि दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिया जाना उचित समझते है।

–:आदेश:–

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा सोजत चक प्रथम, तहसील सोजत के खाता संख्या 2322 के खसरा नम्बर 3275 रकबा 1.6200 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से दर्ज खातेदार जेठमल पुत्र मदनलाल के वास्तविक व सही नाम की संपुष्टि हो जाने से जेठाराम पुत्र मदनलाल दुरूस्त प्रविष्टि दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सोजत को निर्णय की छायाप्रति तहरीर के साथ भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

निर्णय आज दिनांक 00.00.2022 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज